

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

नक्ष आदि जरिये माता कविता बनाम ओमप्रकाश आदि

रूम मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 58/21 सन् 2021

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इन्जीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
2-21	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री महेन्द्र जागीड के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा चक 6 एमआरएन के खाता संख्या 74/47 की कुल 3.0360 हैक्टेयर चक 8 एमआरएन के खाता संख्या 71/47 की कुल 1.2400 है, चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 79/41 की 3.4420 है 0 वाद भूमि को अप्रार्थीगण किसी भी तरीके से रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे व विरासतन पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाफ्फोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी तक आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थी को कोई उज एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.11.2021 को पेश हो।</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 के स्थल में पेश हुई। दावा में प्रतिवादी संख्या 1 का वकालतनामा पेश हो चुका है। पत्र शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्तु तलबी शेष हेतु दिनांक 24/11/21 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 के स्थल में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 24/11/21 को पेश हो।</p> <p>वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली मा. आदेशानुसार पेश की गई। दिनांक 24/11/21 को पेश हो।</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	




08/09/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक.....को पेश हो

27/10/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक.....को पेश हो

05/2/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक.....को पेश हो

15/03/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी.....
दिनांक.....को पेश हो

14/5/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता दाली
व दाली स्वयं उपस्थित नहीं। वार-वृत्त
आवाज लगाने पर भी कोई दायित्व नहीं
अह: पत्रावली अहम दायी अहम-वैदी
में दायीय की गई। पत्रावली नम्बर से
उम की जाकर दायित्व स्पष्ट है।
 14/05/24